In-Service extension and re-employment after retirement to Government employees

1557. SHRI YASHWANT SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of retiring Government servants who have been given extension in service and/or re-employment after retirement since December, 1989, till date;

(b) whether it is the policy of Government to give extensions or re-employment freely to retiring Government servants; and

(c) if not what is the justification for giving such extension or re-employment after retirement to Government employees?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) As the appropriate authorities in the respective Ministries/Departments are competent to grant extension/re-employment in service to Government employees working under them, the information regarding the number of employees who have been granted extension/re-employment in service since December, 1989 is not available centrally in this Ministry.

(b) and (c) No, Sir. Extension in service/re-employment after superannuation to a Government servant is to be granted in very rare and exceptional circumstances purely in public interest when either another officer is not ripe enoogh to tafie over the job or the retiring officer is of outstanding merit.

पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा हेतु कदम

1558. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा हेतु, विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं; पुरानी तथा नई वन नीति में क्या अन्तर है ; और

(ख) वन सम्पदा में कमी होने के क्या कारण हैं तथा वनों में और कमी न होने देने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

1. राज्य सरकारों को निम्नलिखित दिशा-निदेश जारी किए गए :—

1. प्राकृतिक वनों की कटाई न करना जहां इस प्रकार की कटाई फ़सलों की बहाली या अन्य वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों मे 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए ।

2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1,000 मीटर से ऊपर कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना ।

3. पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किए जाने की आवश्यकता है ।

2. राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है :—

1. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और सुधरे हुए चूल्हों का वितरण जैसे ईंधन बचाने के उपकरणों को लोकप्रिय बनाना ।

2. सुधरे हुए शवदाह गृहों आदि की स्थापना ।

3. पशुओं को खूंटे पर खिलाना और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन ।

4. चराई का नियंत्रण और विनियमन ।

5. वन उत्पादों में हिस्सेदारी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके वनों की सुरक्षा, उनके पुनरुद्धार और पुर्नवनरोपण में लोगों की भागीदारी।

1952 की वन नीति में भौतिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों में सुधार करने और स्थानीय जनता के लिए छोटी और जलाने की लकड़ी की भारी मात्रा में आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वृक्षों की आयोजना और स्थापना पर जोर दिया गया है। वनों के महत्व को केवल नमी के संरक्षण और क्षरण से सुरक्षा जैसे भौतिक क्षेत्रों में ही महसूस नहीं किया गया बल्कि रेलवे, रक्षा और उद्योगों को इमारती लकड़ी की आपूर्ति करके कृषि, उद्योग और संचार के विकास जैसे आर्थिक क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के रख-रखाव को सुनिश्चित करना है। मूल उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने चाहिए। नीति में यह महसुस किया गया है कि पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने, प्राकृतिक विरासत और जैवीय विविधता के संरक्षण, भू-क्षरण और वनों की कटाई को रोकने, रेत के टिब्बों के फ़ैलाव को रोकने तथा पर्याप्त रूप से वन आवरण में वृद्धि करके ईंधन चारा और इमारती लकड़ी की जरुरत को पूरा करने के लिए वन आवश्यक हैं। नीति में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध कब्जों, आग, चराई, झूम खेती आदि से वनों की रक्षा करना भी है। वनों से होने वाले दोहन को उचित प्रबन्ध पद्धतियों के तहत कार्य करके भूमि की वहन क्षमता से जोड़ा जाना है।

(ख) वन आवरण में कमी के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) आबादी में वृद्धि में के कारण ईंधन और इ मारती लकड़ी की अधिक मांग।

(2) अति चराई के कारणवन भूमि का आक्रमण।

(3) लुगदी और कागज तथा प्लाईवुड उद्योग की कच्चे माल की जरूरतें।

(4) अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता।

(5) आदिवासी क्षेत्रों विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती की समस्या।

भारत में उचित भूमि और वन अनुपात की बहाली के लिए उठाए जाने वाले कदमों में वन सुरक्षा उपाय और व्यापक वनरोपण शामिल हैं। इनमें ऊपर (क) में उल्लिखित उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा करने के लिए इसमें विशेष उपबंध है।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था ताकि इसे और अधिक कठोर बनाया जा सके।

(3) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(4) पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फ़र्नीचर आदि में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग।

(5) इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है।

(6) लकड़ी के विकल्प के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(7) झूम खेती के नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।